

02/12/02

आज यह पत्रावली न्यायालय से राजस्थान के उच्च न्यायालय में पेश की जा रही है।
पत्रावली के दिनांक 06/12/02।
पेश हुई।
याम पत्रावली परवेणी
जारी हो। पत्रावली दिनांक 06/12/02।
राजस्थान लोक अदालत याम पत्रावली परवेणी

उपखण्ड अधिकारी
देणी जिला अलवर

06/12/02

आज यह पत्रावली केस कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली में नही होने से प्रकरण अंत पत्रावली न्यायालय में ही दिनांक 04/02/2022 को पेश हो।
प्रशासन गांव के सम आदि 2021

उपखण्ड अधिकारी
देणी जिला अलवर

04/02/22

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 04/02/22 को पेश हो।
रीडर

01/04/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आवाज न्याय के आवक भी अनुपस्थित एवं पत्रावली में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अंत दर्ज एवं अंत दर्ज में खारिज किया

उपखण्ड अधिकारी

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crime-I

मुकाम

बनाम

जं..... सन.....

हुकम या कार्रवाही मरा इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

जाला है। पत्रावली कसम पंखी में
फैसल शुमार होकर रफिस्ट्र में
कम की जावे। बाद पूर्ण कार्रवाही
रफर हो।

ADP